न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 131/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 28.9.2016
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. पृथ्वीराज पुत्र मोडूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम तिसाया तहसील व जिला बांरा (राज0)।

....अपीलाट

बनाम

1 सोभाग्यवती बाई उर्फ केदारबाई पत्नी चौथमल स्वर्णकार
2 चौथमल पुत्र पीरूलाल स्वर्णकार निवासी सर्राफा दुकान तेलियो के मंदिर के सामने बडा बाजार, बांरा तहसील व जिला बांरा (राज0)
3 द्रोपदीबाई पत्नी देवचंद जाति माली निवासी ग्राम तिसाया तहसील व जिला बांरा।
4 सुरजां बाई पत्नी पृथ्वीराज जाति धाकड निवासी ग्राम तिसाया तह0 व जिला बांरा।
5 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बांरा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक अपीलाट
श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 ता 3

:::निर्णय:::

दिनांक 25.01.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांरा जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 50/2002 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान द्रोपदीबाई बनाम घींसी बाई मे पारित निर्णय दिनांक 16.11.2002 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अधीनस्थ न्यायालय मे द्रोपदीबाई वगेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को निर्णय दिनांक 16.11.2002 से स्वीकार कर ग्राम तिसाया के ख0 नं0 363 रकबा 2.05 है0 भूमि का सोभाग्यवती, केदारबाई पत्नी चौथमल स्वर्णकार व द्रोपदी बाई पत्नी देवचन्द माली को गेरखातेदार तथा ग्राम तिसाया के ख0 नं0 257 रकबा 0.61, ख0 नं0 360/1315 रकबा 0.62, ख0 नं0 362 रकबा 0.59, ख0 नं0 359 रकबा 0.23 है0 भूमि मे से घींसीबाई बेवा रोडू रकबा 0.48 है0 भूरूलाल आ0 गोपाल धाकड 0.32 है0, गोमदा आ0 गंगाराम बैरवा 0.63 है0, राममूर्ती पुत्री भंवरलाल ब्राहमण कोयला 0.62 है0 भूमि का गेरखातेदार घोषित करने एवं ख0 नं0 359 रकबा 0.12 है0 को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। पत्रावली मे अप्रार्थी गंगाराम के कायम मुकामान की तलबी की जाकर दिनांक 1.11.2002 को पेश की गई तथा

दिनांक 1.11.2002 को पत्रावली पर कोई आदेश नही है। पत्रावली दिनांक 1.11.2002 को वकील प्रार्थी की बहस सुनकर दिनांक 16.11.02 को प्रशासन गांव की ओर अभियान मुकाम तिसाया मे रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये ग्राम तिसाया की ख0 नं0 363 रकबा 0.05 है0 भूमि पर रेस्पो0 को गेरखातेदार घोषित करने का आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है क्योंकि लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत घोषणा के अधिकार की शक्तियां नही है। रेस्पो0 ने उक्त वर्णित आराजी तत्कालीन खातेदार नन्हे खां से जरिये रजिस्ट्री क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था उसी पर रेस्पो0 काश्त करते चले आ रहे है आज भी उसी भूमि पर काश्त कर रहे है अतः प्रा0 पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत रेस्पो0 को दुरूस्ती कराने का कोई अधिकार प्राप्त नही है यदि बदोबस्त मे कोई गलती हुई भी थी तो भूमि के विक्रेता खातेदार को दुरूस्त कराकर ही भूमि विक्रय करनी चाहिये थी क्रेतागण को क्रय की गई भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि पर अपना उज्रं पेश करने का अधिकार नही है। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा कर निर्णय पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है। ख0 नं0 363 मे से खातेदार घींसीबाई, गोमदा, भेरूलाल एवं राममूर्ति के खातेदारी मे रही है। घींसीबाई अपीलांट की माता है जिसका स्वर्गवास हो चुका है ख0 नं0 363 निर्बाद रूप से उसके पति के काश्त व खातेदारी मे दर्ज रही है अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई गौर नही कर कानूनी त्रुटि की है। मिलीभगत कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई जो काल्पनिक है। इन्ही पक्षकारो के मध्य वाद सं0 3/2004, वाद सं0 58/07, वाद सं0 3/04 एवं वाद सं0 81/04 राज0 काश्तकारी अधिनियम का जेरकार है तथा प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मे दिनांक 20.12.2004 को अपीलांट का कब्जा माना है। एक पक्षीय पारित आदेश दिनांक 16.11.02 को सेटअसाईड व अपास्त करने का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया जिसे दिनांक 1.2.2012 को खारिज कर दिया जिसकी अपील एडीसी कोटा के न्यायालय मे की तथा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे पेश की गई पारित निर्णय दिनांक 9.8.2016 के अनुसार पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के मूल निर्णय दिनांक 16.11.2002 की अपील सक्षम न्यायालय मे पेश करने की स्वतंत्रता प्रदान करने फलस्वरूप अपीलांट ने अपील पेश की है जो विभिन्न न्यायालयों मे कार्यवाही विचाराधीन रहने की अवधि एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 9.8.2016 से दिनांक 5.9.2016 तक का समय कण्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत तथा रेस्पो0 क्रम 4 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बारां का निर्णय/आदेश दिनांक 16.11.02 निरस्त कर प्रकरण सुनवाई हेत अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुये प्रकट किया कि विवादित आराजी रेस्पो0 ने तत्कालीन खातेदार नन्हे खां से जरिये रजिस्ट्री क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था उसी पर रेस्पो0 काश्त करते चले आ रहे है। अतः प्रा0 पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत रेस्पो0 को दुरूस्ती कराने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय दिनांक 16.11.02 पारित किया है। आदेशिका दिनांक 1.10.02 के अनुसार पत्रावली गंगाराम के कायम मुकामान की तलबी मे जेरकार रहकर आगामी ता0 पेशी दिनांक 1.11.2002 नियत की गई थी किन्तु 1.11.2002 को गंगाराम के कायम मुकामान की तलबी किये बिना दिनांक 1.11.2002 को वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनकर दिनांक 16.11.2002 को प्रशासन गांव की ओर अभियान मुकाम तिसाया मे रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये ग्राम तिसाया की ख0 नं0 363 रकबा 0.05 है0 भूमि पर रेस्पो0 को गेरखातेदार घोषित करने का आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है क्योंकि लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत घोषणा के अधिकार की शक्तियां नही है। बहस मे आगे बताया कि केम्प मे केवल

दोनो पक्षो के समझोते/राजीनामा के केस मे ही निर्णय पारित किया जा सकता है। धारा 136 एलआरएक्ट मे खातेदारी नही दी जा सकती यह टीनेन्सी एक्ट का वाद नही है। मैने जेरअपील निर्णय एक पक्षीय पारित करने पर सेटअसाईड की दर0 पेश की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने पर अपील एडीसी मे की तथा द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे की गई जिसमे पारित निर्णय अनुसार जेरअपील मूल आदेश दिनांक 16.11.2002 के विरूद्ध यह अपील पेश की है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश/निर्णय विधिसम्मत नही है लिहाजा जेरअपील निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड मे शुद्धि के आदेश पारित किये है। अपीलांट को अपने हक हकूक के निर्धारण हेतु राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करना चाहिये। बहस मे आगे प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है तथा डिले कन्डोन का कोई युक्तियुक्त व न्यायोचित कारण नही है अतः प्रथम दृष्टया अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे जेरकार राजस्व वादो का निर्णय हो चुका है। अपीलांट का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया जिसकी अपील भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय मे जेरकार है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट कोई विधिक अनुतोष प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी नही है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र धारा 14 मियाद अधिनियम मे विभिन्न न्यायालयो मे विचाराधीन रहने से जेरअपील निर्णय की अवधि से दिनांक 5.9.2016 तक का समय न्यायहित मे कण्डोन किये जाने का अनुरोध किया गया तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के समर्थन मे अपीलांट ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस के दौरान अपील मियाद बाहर होने तथा डिले कन्डोन का कोई युक्तियुक्त न्यायोचित कारण नही होने से अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज करने का अनुरोध किया गया किन्तु शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो के खण्डन मे कोई प्रत्युत्तर अथवा दस्तावेजात पेश नही किये गये। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई सदभाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील पत्रावली का गुणावगुण पर विचार कर अवलोकन किया गया। रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दस्तावेजात रिकार्ड पर लेने हेतु पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है। न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांरा द्वारा द्रोपदीबाई वगेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को निर्णय दिनांक 16.11.2002 से स्वीकार कर ग्राम तिसाया के ख0 नं0 363 रकबा 2.05 है0 भूमि का सोभाग्यवती, केदारबाई पत्नी चौथमल स्वर्णकार व द्रोपदी बाई पत्नी देवचन्द माली को गेरखातेदार तथा ग्राम तिसाया के ख0 नं0 257 रकबा 0.61, ख0 नं0 360/1315 रकबा 0.62, ख0 नं0 362 रकबा 0.59, ख0 नं0 359 रकबा 0.23 है0 भूमि मे से घींसीबाई बेवा रोडू रकबा 0.48 है0 भूरूलाल आ0 गोपाल धाकड 0.32 है0, गोमदा आ0 गंगाराम बैरवा 0.63 है0, राममूर्ती पुत्री भंवरलाल ब्राहमण कोयला 0.62 है0 भूमि का गेरखातेदार घोषित करने एवं ख0 नं0 359 रकबा 0.12 है0 को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिकाओं के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय ने

जेरअपील निर्णय 16.11.2002 अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय रूप से पारित किया है। आदेशिका दिनांक 1.10.02 के अवलोकन से प्रकट है कि पत्रावली गंगाराम के कायम मुकामान की तलबी मे जेरकार रहकर आगामी ता0 पेशी दिनांक 1.11.2002 नियत की गई थी किन्तु 1.11.2002 को गंगाराम के कायम मुकामान की तलबी किये बिना दिनांक 1.11.2002 को वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनकर दिनांक 16.11.2002 को प्रशासन गांव की ओर अभियान मुकाम तिसाया मे रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश/निर्णय दिनांक 16.11.2002 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता। प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से पक्षकारान के मध्य अधीनस्थ न्यायालय मे विवादित आराजी के संबध मे विचाराधीन वाद प्रकरण 3/04, 58/07, 70/07 का दिनांक 30.3.2017 को निर्णय हो चुका है तथा जिसकी अपील वर्तमान मे न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय मे लम्बित होना प्रकट है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार जेरअपील आदेश 16.11.2002 अपास्त कर, पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 50/2002 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बउनवान द्रोपदीबाई बनाम घींसी बाई मे पारित निर्णय दिनांक 16.11.2002 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8 निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा